



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042024-253541  
CG-DL-E-03042024-253541

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1518]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 2024/चैत्र 14, 1946

No. 1518]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 2024/CHAITRA 14, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2024

सं. 02/2023

विषय : संयुक्त अरब अमीरात को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात।

का.आ. 1600(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 22.03.2024 की अधिसूचना संख्या 81/2023 के पैरा 2 में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को दिनांक 01.03.2024 की विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 65/2023 द्वारा अधिसूचित मात्रा के अतिरिक्त 10000 मी.ट. प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है।

## 2. अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को दिनांक 01.03.2024 की विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 65/2023 द्वारा अधिसूचित मात्रा के अतिरिक्त 10000 मी.ट. प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात अनुमत है।

[फा. सं. 01/91/191/060/एएम-24/ईसी (इ-38291)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

और पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd April, 2024

**No. 02/2023****Subject :** Export of Onions (under HS code 0703 10 19) to UAE.

**S.O. 1600(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 and in accordance with the provision contained in Para 2 of Notification No. 81/2023 dt.22.03.2024, the Central Government permits export of additional 10,000 MT of onions (under HS code 0703 10 19) to UAE through National Cooperative Exports Limited (NCEL) over and above the quota notified vide DGFT Notification No. 65 /2023 dt.01.03.2024.

**2. Effect of the Notification:**

Export of additional 10,000 MT of onions (under HS code 0703 10 19) to UAE through National Cooperative Exports Limited (NCEL) over and above the quota notified vide DGFT Notification No. 65/2023 dt. 01.03.2024 is allowed.

[F. No. 01/91/191/060/AM-24/EC (e-38291)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

Ex-officio Addl. Secy.